

प्रेस नोट
सराहनीय कार्य जनपद एटा।

एटा ~ थाना जसरथपुर पुलिस को मिली सफलता , एक अभियुक्त शराब बनाने के उपकरण , 50 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब तथा अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अलीगंज श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना जसरथपुर पुलिस द्वारा SHO श्री सुभाष सिंह कठेरिया मय फोर्स के एक नफर अभियुक्त को शराब बनाने के उपकरण , 50 ली० अवैध अपमिश्रित शराब मय एक अदद तमन्चा व 02 अदद कार० 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटनाक्रमानुसार दिनांक 23.03.2021 को थाना जसरथपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त वन्टी पुत्र मुन्शीलाल कश्यप निवासी ग्राम तौसईया मलूक थाना जसरथपुर एटा को 50 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित व शराब बनाने के उपकरण , लहन, एक तमंचा व कारतूस सहित काली नदी के किनारे झाड़ियों में वहद ग्राम तौसईया मलूक थाना जसरथपुर एटा के पास से समय करीब 04.05 बजे गिरफ्तार किया गया है। मौके पर लहन नष्ट किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 39/2021 धारा 60/60(2) EX Act व 272/273 भादवि पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता

1. बन्टी पुत्र मुंशीलाल कश्यप नि० तौसईया मलूक थाना जसरथपुर जनपद एटा

बरामदगी का विवरण

1- 50 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण मय 500 ग्राम यूरिया

2- एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कार०

गिरफ्तार करने वाला पुलिस बल

1. SHO श्री सुभाष सिंह कठेरिया

2. SI श्री राम सिंह

3. HC 79 मनवीर सिंह

4. HC 76 विनोद कुमार

5. का० 972 सुगम कुमार

